विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम बुद्धवार के लिए निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूँछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तरः-

प्रश्न	उत्तर
12 (क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक सिद्धार्थनगर डिपो गोरखपुर क्षेत्र के विरुद्ध दिनांक 21/02/2023 को की गयी शिकायतों के बिन्दु क्या-क्या थे?	शिकायतकर्ता मा0 सदस्य, विधान परिषद उ0प्र0 द्वारा की गयी शिकायत दिनांक 21.02.2023 के बिन्दु निम्नवत थे- 1- पिछड़ा जनपद होने के बावजूद भी नई रुटों पर किसी बस का संचालन न किया जाना वहां के नागरिकों के अवागमन को ठप करना है। इनके द्वारा डिपों में लगभग 80 बसों में से मात्र 50 प्रतिशत बसों से कम बसें संचालित हो रही है यह भी बसें बीमारु हालत में है इनकी मरम्मत के नाम पर खुलेआम लूट की जाती है। 2- शासन द्वारा भेजी गयी 02 नई बसों के संचालन में जिन्हें बीएस- 6 के नाम से जाना जाता है । इसके संचालन हेतु अनुभवी एवं योग्य तथा प्रशिक्षित चालक और परिचालक के संचालन किये जाने का निर्देश है । इसके बावजूद भी खुलेआम बोली लगाकर विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करके अनुभवहीन चालकों को लगा दिया जाता है। 3- स्टेशन के रख-रखाव हेतु शासन द्वारा प्रेषित धनराशि जो हजारों में है । उसकी व्यवस्था करने हेतु कैशियर से हटाकर अपने निजी सहायक लिपिक को सौपकर पूरी धनराशि हड़प ली जाती है। स्थिति यह है कि साफ-सफाई पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हैण्ड-पम्प भी वर्षों से बन्द पड़ें। 4- विभागीय नियमों के अनुसार चालकों/ परिचालकों का तिमाही एलाटमेन्ट बनाकर बस संचालन की जिम्मेदारी दी जाती है जबकि इनके द्वारा सुविधा-शुल्क के आधार पर अनवरत किसी का एलाटमेन्ट कर दिया जाता है और किसी का वर्षों से भी एलाटमेन्ट नहीं किया जाता है जिससे स्पष्ट है कि चालकों और परिचालकों में भारी रोष है । 5- विभागीय निर्देशों में यह व्यवस्था दी गयी है कि 50 प्रतिशत से कम आय जिन परिचालकों की होती है उनका स्थानान्तरण दूसरे डिपो में करा दिया जाता है यहां तक कि विगत माह एक ऐसी सूची आधा दर्जन परिचालकों की बनायी गयी जिसमें एक जाति विशेष के लोगों को यहॉ से दूसरे डिपो में तैनात करने की सूचना आर0एम0 गोरखपुर को दे दिया गया और विशेषरुप से अपने चहेते जिसकी आय स्थानान्तरित लोगों से भी कम थी उनको स्थानान्तरित नहीं किया गया । 6- बसों के संचालन में जब तक सुविधा शुल्क ए0आर0एम0 महोदय को नहीं दिया जाता है तब तक बसों

का संचालन यात्रियों का बसों में बैठने के बाद भी प्रारम्भ नहीं होता है । जिसके कारण रास्ते में मिलने वाली सवारियॉ निराश हो जाती है ।

7- मरम्मत के नाम पर फर्जी ऑकडों में फर्जी धनराशि दिखायी जाती है।

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) द्वारा पत्रांक-185परि0/23-11 गोवि0/23, दिनांक 31/05/2023 के माध्यम से प्रकरण को समाप्त करने का अधोहस्ताक्षरी पत्र भेजा गया है?

जी हॉ।

(ग) यदि हाँ, तो कौन-कौन से जॉच अधिकारी थे?

श्री अजीत सिंह, प्रधान प्रबन्धक (प्रावि0)/ नोडल अधिकारी गोरखपुर क्षेत्र ।

(घ) क्या जॉच करते समय शिकायतकर्ता को भी सूचित किया गया था?

जी नहीं।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिद्धार्थनगर डिपो के विरूद्ध मा0 सदस्य द्वारा स्वयं शिकायत की गयी थी, अत: जांच अधिकारी द्वारा जांच पूर्ण करना औचित्यपूर्ण पाया गया।

(ड.) यदि नहीं, तो क्या जॉच आख्या एवं उस पर की गई कार्यवाही का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?

जांच अधिकारी द्वारा दी गयी जांच आख्या तथा अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या- 873 रोडी/ आर/2023- 69 डिस्प/जी/2022, दिनांक 25.05.2023 की छायाप्रति संलग्न है।

दयाशंकर सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
परिवहन विभाग।

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्र संख्या 873 रोडी / आर / 2023–69डिस्प / जी / 2022 दिनांक 25-5-, 2023

कार्यालय आदेश

श्री जगदीश प्रसाद, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिद्धार्थनगर डिपो, गोरखपुर क्षेत्र के विरूद्ध श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद, उ0प्र0 द्वारा की गयी परिवाद की जॉच कार्यवाही से सम्बन्धित है।

प्रकरण यह है कि प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 47 / पीएसटी / 2023 दिनांक 21.02.2023 के साथ संलग्न श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 21.02.2023 के द्वारा श्री जगदीश प्रसाद, सहा[illegible] प्रबन्धक, सिद्धार्थनगर डिपो, गोरखपुर क्षेत्र के विरूद्ध बिन्दुवार परिवाद की गयी है [illegible] जनपद होने के बावजूद नए रूटों पर बसों का संचालन न कराना, बसों की मरम्मत में खुलेआम लूट का होना, नई बसों पर विभागीय निर्देशों का उल्लंघन कर अनुभवहीन चालकों को लगाना, स्टेशन के रखरखाव के नाम पर शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि को हड़पने एवं साफ–सफाई व पीने के पानी की व्यवस्था न होना, विभागीय नियमों के अनुसार चालक / परिचालकों का एलाटमेंट न करना, 50 प्रतिशत से कम आय वाले कुछ जाति विशेष के परिचालकों को दूसरे डिपो में स्थानान्तरित कराना एवं बसों का संचालन सुविधा शुल्क लेकर कराये जाने आदि।

उक्त परिवाद की जॉच श्री अजीत सिंह, प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0), निगम मुख्यालय से करायी गयी। जॉच आख्या के अनुसार परिवाद तथ्यों के आधार पर नहीं की गयी है तथा श्री जगदीश प्रसाद, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक का डिपो के कर्मचारियों पर नियन्त्रण शिथिल पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों तथा साक्ष्यों के परिशीलन करने पर पाया गया [illegible] अधिकारी द्वारा श्री जगदीश प्रसाद, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरूद्ध की गयी [illegible] कोई तथ्यात्मक आधार नहीं पाये गये हैं। बस स्टेशन की साफ–सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था एवं यात्रियों के बैठने हेतु समुचित व्यवस्था पायी गयी है। श्री प्रसाद का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण शिथिल होने के कारण कतिपय परिचालकों का लोडफैक्टर 50 प्रतिशत से कम प्राप्त किया गया है।

अतः विचारोपरान्त श्री जगदीश प्रसाद, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिद्धार्थनगर डिपो को उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सचेत करते हुए प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(एल. वेंकटेश्वर लू)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक / समदिनांकित

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र को कार्यालय आदेश की [illegible] इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि मूल प्रति श्री जगदीश प्रसाद, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक

Scanned with CamScanner

सिद्धार्थनगर डिपो को प्राप्त कराकर प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को सुनिश्चित करें।

2— सम्बन्धित अधिकारी।

3— अनुभाग अधिकारी, निगम स्थापना मुख्यालय/गोपन/परिवाद अनुभाग, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

4— गार्ड पत्रावली।

(रामसिंह वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन)
का./पु.

Scanned with CamScanner